आवश्यक
पंचायत आम चुनाव, 2021

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्रांक - पं.नि. 30-25/2020 – 238

प्रेषक,

योगेन्द्र राम
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

पटना, दिनांक – 30.1.21

विषय : पंचायत आम निर्वाचन, 2021 – मतदाता सूची के तैयारी के संबंध में।

प्रसंग : 1. आयोग का पत्रांक 1506 दिनांक 11.12.2020
2. आयोग का पत्रांक 30 दिनांक 07.01.2021
3. आयोग का पत्रांक 133 दिनांक 18.01.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के लिए मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं। वर्तमान में मतदाता सूची संबंधी दावा/ आपत्ति प्राप्त हो रहे होंगे जिसका निष्पादन भी प्रखंड स्तर/ जिला स्तर पर किया जा रहा होगा।

व्यक्ति विशेष के अतिरिक्त आयोग कार्यालय में मतदाता सूची से संबंधित शिकायत प्राप्त हो रहे हैं, जो निम्न प्रकृति के हैं:-

1. किन्ही कारणों/ अवधानता से विधान सभा के मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बावजूद पूर्ण प्रा.नि.क्षे./ टोला/ समूह में पंचायत मतदाता सूची के किसी भी प्र.नि.क्षे. में सम्मिलित नहीं हुए हैं।
2. उसी तरह से पूर्ण प्रा.नि.क्षे./ टोला/ समूह में मतदाता जिस प्रा.नि.क्षे. में निवास करते हैं, वहाँ नाम सम्मिलित न होकर किसी अन्य प्रा.नि.क्षेत्र या अन्य पंचायत में सम्मिलित हो गये हैं।

उल्लेखनीय है कि मतदाता सूची संबंधी जो दावा/ आपत्ति निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से ऑनलाईन/ ऑफलाईन प्राप्त हो रहे हैं, वे व्यक्तिगत हैं। परन्तु किन्ही कारणों/ अवधानता से विधान सभा के मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बावजूद पूर्ण प्रा.नि.क्षे./ टोला/ समूह में पंचायत मतदाता सूची के किसी भी प्र.नि.क्षे. में सम्मिलित नहीं हुए हैं या मतदाता जिस प्रा.नि.क्षे. में निवास करते हैं, वहाँ नाम सम्मिलित न होकर किसी अन्य प्रा.नि.क्षेत्र या अन्य पंचायत में सम्मिलित हो गये हैं, को मतदाता सूची में नाम जोड़ने/ यथास्थान स्थानान्तरित करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जाये –

1. 01.01.2020 की अर्हता वाले विधान सभा निर्वाचक सूची के हार्ड प्रति से प्रपत्र-क का निर्माण कराया गया है। इस प्रपत्र-क के अनुसार सॉफ्टवेयर के माध्यम से डाटा का प्रा.नि. क्षेत्रवार मतदाताओं को व्यवस्थित कर प्रारूप मतदाता सूची का निर्माण किया गया है। जिन मतदाताओं का नाम विधान सभा की सूची में है किन्तु

किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सम्बद्ध नहीं हो सके हैं, वैसे छूटे मतदाताओं की सूची विधानसभा वार/भागवार संधारित है, जिसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से देखा जा सकता है और इसका प्रिन्ट भी निकाला जा सकता है। सर्वप्रथम प्रखंड विकास पदाधिकारी उक्त सूची को प्राप्त कर यह आश्वस्त हों कि वास्तव में मतदाता छूटे हुये हैं। ऐसी स्थिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रा.नि.क्षेत्रवार छूटे हुये मतदाताओं की सूची तैयार करेंगे जिसमें उस मतदाता का विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या, भाग संख्या एवं निर्वाचक का क्रमांक निश्चित रूप से अंकित होना चाहिये, जिससे यह स्पष्ट हो सके उक्त मतदाता का नाम बिहार विधान सभा के निर्वाचक सूची में अंकित था।

2. प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रा.नि.क्षेत्रवार मतदाताओं की सूची तैयार करेंगे, जिनका नाम यथास्थान प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र/पंचायत में अंकित नहीं है।
3. उक्त दोनों सूची तैयार करने की पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी की होगी एवं सूची पर यह प्रमाणित करेंगे कि मतदाता सूची सही-सही तैयार किया गया है।
4. संबंधित प्रेक्षक उक्त सूची का सत्यापन करेंगे।
5. उक्त तैयार सूची प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं पंचायत कार्यालय के सूचना पट पर प्रकाशित की जायेगी।
6. किसी निर्वाचक का नाम स्थानान्तरित करने की स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाय कि उसका नाम एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से विलोपित हो और दूसरे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में निश्चित रूप से जुड़ जाये।
7. उक्त सूची जिला निर्वाचन पदाधिकारी को अनुमोदन हेतु भेजेंगे एवं उनके अनुमोदन के पश्चात ही निर्वाचक सूची में नाम जोड़े जायेंगे।
8. ऐसे मामलों का प्रखंड विकास पदाधिकारी अभिलेख तैयार करेंगे और अभिलेख में इस बात का उल्लेख करेंगे कि किस स्तर से अवधानता या गलती से निर्वाचकों का नाम छूट गये थे। अभिलेख का संधारण सुरक्षित रखा जायेगा।
9. यह कार्य मतदाता सूची के अन्तिम प्रकाशन की तिथि 19.02.2021 से पूर्व निश्चित रूप से कर ली जाय। अन्यथा इसके बाद मतदाता सूची संबंधी कोई भी मामला आने पर आयोग द्वारा इसे गंभीरता से ली जाएगी।

अनुरोध है कि तत्संबंधी निदेश से सभी संबंधित को अवगत कराते हुये कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह०

सचिव।

ज्ञापांक - पं.नि.30-25/2020 – 238 पटना, दिनांक – 30.1.21

प्रतिलिपि, सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर से नियमित समीक्षा की जाय।

ह०

सचिव।

ज्ञापांक - पं.नि.30-25/2020 – 238 पटना, दिनांक – 30.1.21

प्रतिलिपि, अपर मुख्य सचिव, पंचायत राज विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०

सचिव।

ज्ञापांक - पं.नि.30-25/2020 – 238 पटना, दिनांक – 30.1.21

प्रतिलिपि, निदेशक, सॉफ्टवेयर एजुकेशन एण्ड रिसर्च प्रा. लि. को आयोग के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह०

सचिव। 30/01/2021

D:\pm5\P_E_2021/76

30.1.21